

पंचायत उपचुनाव में 74.61 प्रतिशत मतदान

कलेक्टर ने मतदान स्थलों का निरीक्षण कर मतदाताओं से की चर्चा, पेपरलेस प्रणाली के तहत हुए चुनाव

नवभारत न्यूज
सागर 22 जुलाई. तीन जनपद पंचायतों की चार ग्राम पंचायतों में सरपंच पद हेतु हुए पंचायत उप निर्वाचन में 74.61 प्रतिशत मतदान संपन्न हुआ. इस निर्वाचन की विशेष बात यह रही कि यह पूरी तरह से पेपरलेस प्रणाली के तहत आयोजित किया गया.

इस मौके पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी. आर. ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया एवं मतदाताओं से बातचीत की. उनके साथ अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय भी उपस्थित रहे. निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मतदाताओं से न केवल



मतदान प्रक्रिया पर राय ली, बल्कि उन्हें पेपरलेस प्रक्रिया की सहजता और पारदर्शिता की जानकारी भी दी. कलेक्टर ने बताया कि यह निर्वाचन पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरी तरह डिजिटल एवं पेपरलेस माध्यम

से संपन्न कराया गया है. चार ग्राम पंचायतों मुहासा (खुरई), अगरा व औरिया (जैसीनगर) और सेमरालहरिया (राहतगढ़) में सरपंच पद के लिए शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित रूप से मतदान संपन्न हुआ.

-- मतदान केंद्रों पर प्रतिशत इस प्रकार रहा --

सेमरालहरिया (राहतगढ़)-मतदान केंद्र क्रमांक 1-76.50 प्रतिशत मतदान केंद्र क्रमांक 2-72.31 प्रतिशत.. मतदान केंद्र क्रमांक 3- 78.00 प्रतिशत.. अगरा (जैसीनगर) : प्राथमिक शाला भवन- 71.98 प्रतिशत रहा. प्राथमिक शाला भवन मुहुरा- 78.14 प्रतिशत रहा. औरिया (जैसीनगर) : मतदान केंद्र भाग 1- 74.57 प्रतिशत मतदान केंद्र भाग 2- 76.89 प्रतिशत मुहुरा (खुरई) : प्राथमिक शाला मुहासा -65.43 प्रतिशत रहा. प्राथमिक शाला हलउ-77.65

प्रतिशत रहा है. कुल मिलाकर इन सभी मतदान केंद्रों पर औसत मतदान 74.61 प्रतिशत रहा है. **26 जुलाई को होगी मतगणना**
उक्त चारों ग्राम पंचायतों में मतगणना 26 जुलाई को संपन्न होगी. प्रशासन की ओर से इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मतदाताओं ने नए प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया पारदर्शी, सरल और समय की बचत करने वाली है. निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर न कहीं कोई विवाद हुआ और न ही किसी प्रकार की तकनीकी बाधा उत्पन्न हुई.

खाद के लिए संघर्ष करता किसान टोकन व्यवस्था से मचा हड़कंप, भूखे-प्यासे किसान दर-दर भटकने को मजबूर

नवभारत न्यूज
रहली 22 जुलाई. खरीफ सीजन में फसलें बोने के बाद अब किसान खाद की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं.

जानकारी के अनुसार कृषि उपज मंडी परिसर में जब सूरज निकलने से पहले ही किसान लंबी कतारों में खाद के लिए खड़े हो गए, तो अचानक उन्हें जानकारी दी गई कि अब टोकन मंडी से नहीं, बल्कि पुलिस थाने से मिलेंगे. किसानों ने बताया कि जैसे ही थाने से टोकन मिलने की खबर फैली, सैकड़ों मोटरसाइकिलें खेतों की जगह सड़कों पर दौड़ने लगीं. थाने के सामने अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और टोकन पत्रों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा. सुबह 7 बजे पहुंचे किसानों को 9.45 बजे



टोकन मिलना शुरू हुआ और कई किसानों को दोपहर तक इंतजार करना पड़ा. टोकन मिलने के बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई. खाद वितरण में भी धीमी प्रक्रिया और अव्यवस्था के कारण देर रात तक वितरण जारी रहा. लेकिन अनेक किसान भूखे-प्यासे खाली बग गये, जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई और टोकन पत्रों के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा. सुबह 7 बजे पहुंचे किसानों को 9.45 बजे

हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ के मालिक बड़े किसान कभी कतार में दिखाई नहीं देते. इसके बावजूद उन्हें सैकड़ों बोरी खाद आसानी से कैसे मिल जाती है? बताया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से बार-बार यही जवाब दिया जा रहा है कि चबराएं नहीं, सबको खाद मिलेगी. लेकिन हकीकत यह है कि किसानों को हर दिन अपना काम छोड़कर सिर्फ खाद के लिए भटकना पड़ रहा है.

एक नजर में



शैक्षणिक विकास को लेकर मंत्री से चर्चा
सागर. शासकीय कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष नितिन बंटी शर्मा तथा कन्या उत्कृष्ट महाविद्यालय जन भागीदारी समिति अध्यक्ष मनीषा मिश्रा के प्रतिनिधि विनय मिश्रा ने उच्च शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार से मुलाकात कर महाविद्यालय में शैक्षणिक विकास को लेकर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने विभिन्न नए पाठ्यक्रम तथा शैक्षणिक पद स्वीकृत करते हुए अन्य समस्याओं पर ध्यान दिलाकर उनका निराकरण करने का भी आग्रह किया. मंत्री श्री परमार ने कहा कि दोनों ही महाविद्यालय के लिए नए पाठ्यक्रम तथा अतिरिक्त शैक्षणिक पदों की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया जाएगा. इस दौरान अरुण दुबे भी मौजूद थे.



संभागायुक्त से की नगर विकास के संबंध में चर्चा
सागर. महापौर श्रीमती संगीता तिवारी ने एमआईसी सदस्यों एवं पार्षदों के साथ संभागायुक्त अनील सुचारी से सौजन्य भेंट कर नगर विकास के संबंध में चर्चा की. इस अवसर पर महापौर प्रतिनिधि डॉ. सुशील तिवारी, एमआईसी सदस्य विनोद तिवारी, धर्मद खटीक, रूपेश यादव, राजकुमार पटेल, संगीता जैन, पार्षद रुबी पटेल, पार्षद प्रतिनिधि नरेश यादव, सोमेश जड़िया, संतोष दुबे, रिशांक तिवारी, कृष्ण कुमार पटेल उपस्थित थे.



नशा किसी प्रकार हो नाश की ओर ले जाता
राहतगढ़. शासकीय महाविद्यालय में पुलिस विभाग द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति जागरूकता अभियान को लेकर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया. प्राचार्य डॉ. चंदन सिंह सागर ने कहा कि नशा किसी भी प्रकार का हो वह सिर्फ नशा होकर नाश की ओर ले जाता है. रणवीर सिंह ने कहा कि लोग नशा कर शरीर के साथ अपनी सामाजिकता भी खो देते हैं. एएसआई संतोष विनोदिया ने बताया कि नशा सामाजिक भी होता है और मानसिक भी. श्रीकांत रिगे ने कहा कि नशे के आदि लोग अपने घर परिवार को पीड़ादायी होते हैं. इस दौरान डॉ. भरत पटेल, ऋषिराज चौबे, डॉ. ऋतु व्यास, आशीष रैकवार, संदीप जैन, दीपशिखा नेमा, अनिता मालवीय, अंजुलता गोस्वामी और विद्यार्थी मौजूद थे.



नपाध्यक्ष ने किया निर्माण कार्य का निरीक्षण
रहली. नगर पालिका परिषद द्वारा वार्ड क्रमांक 15 लड़याना मोहल्ले में कराये जा रहे सड़क नाली निर्माण कार्य का निरीक्षण नपा अध्यक्ष देवराज सोनी ने पार्षदों एवं ठेकेदार के साथ किया. ठेकेदार एवं अधिकारियों को उच्च गुणवत्ता एवं शीघ्रता के साथ निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए, **मीरा बाई का निधन**
रहली. शिक्षक महेंद्र सोनी राजेंद्र सोनी वीरेन्द्र सोनी की माता जी मीराबाई सोनी पत्नी स्व श्री शंभूशरण सोनी 90 वर्ष का अकस्मात निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार सुरई घाट पर किया गया.

रूपचंद चौधरी का निधन
रहली. दिग्गंबर जैन तीर्थ अतिशय क्षेत्र पटनागंज के उपाध्यक्ष रूपचंद चौधरी का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था. अंतिम संस्कार पटनागंज मुक्तिधाम में हुआ.

निरीक्षक-उपनिरीक्षक तबादले

नवभारत न्यूज
सागर 22 जुलाई. पुलिस प्रशासन में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है. पुलिस अधीक्षक विकास शहवाल ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के तबादले किए हैं.
एसपी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. उनमें निरीक्षक योगेश सिंह दांगी थाना बांदरी से स्थानांतरित होकर थाना खुरई शहर भेजे गए. निरीक्षक सुमेर सिंह जगत रक्षित केन्द्र सागर (डोबी शाखा) से स्थानांतरित होकर थाना बांदरी भेजे गए हैं.

भवन की गुणवत्ता की जांच के लिए निर्देश

नवभारत न्यूज
सागर 22 जुलाई. विधायक शैलेंद्र जैन ने इद्रा नेत्र चिकित्सालय भवन का निरीक्षण किया और भवन की गुणवत्ता एवं संरचनात्मक मजबूती की तकनीकी जांच कराने के निर्देश दिए.
निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वर्तमान भवन की छत से पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे दीवारों पर सीलन आ गई है और दरवाजे-खिड़कियां सड़ चुकी हैं. भवन में जलप्रवेश की वजह से ओपीडी, जनरल वार्ड एवं अन्य विभागों की स्थिति भी प्रभावित हो रही है.

कारगिल विजय दिवस पर जिले में भाजपा करेगी कार्यक्रम

नवभारत न्यूज
सागर 22 जुलाई. कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शहीदों के प्रति सम्मान और देश की सुरक्षा में समर्पित जवानों के लिए समर्पित कार्यक्रम आयोजित होंगे.
तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष श्याम तिवारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. बैठक में आयोजन संबंधी चर्चा हुई.

धामोनी दरगाह में दानपेटियों से हुई चोरी

नवभारत न्यूज
सागर 22 जुलाई. बंडा विस अंतर्गत धामोनी दरगाह में वर्षों से स्थापित दानपेटियों के ताले तोड़कर नगदी व बहुमूल्य वस्तुएं चोरी कर ली गईं. इसमें आरोप सिधे तौर पर पुरातत्व विभाग के चौकीदारों पर लगाए गए हैं.
मुस्लिम समाज द्वारा तहसीलदार बंडा को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है. ज्ञापन के अनुसार 17 जुलाई की रात दरगाह में तैनात चौकीदारों के बीच हुई संदिग्ध बातचीत को सुनकर दरगाह के मुजाबिर को संदेह हुआ, जब वे मौके पर पहुंचे और दरगाह के भीतर जाकर स्थिति का जायजा लिया तो अंदर स्थापित दानपेटों का

सफाई कर्मियों ने किया काम करने से इंकार

नवभारत न्यूज
बीना 22 जुलाई. कचरा उठाने वाली एबी इंड्रगा कंपनी के कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया. इन कर्मचारियों को दो महीने से वेतन नहीं मिला है. उनका कहना है कि सीएमओ रामप्रकाश जगनरिया के सस्पेंड होने के बाद कर्मचारियों का कंपनी से भरोसा भी उठ गया है, बिना सैलरी के घर के बच्चों का भरण पोषण कैसे करें.
कंपनी ने काम करने वाले 32 कर्मचारियों से साफ कह दिया है कि बिना तनखाह के अब काम नहीं करेंगे. सैलरी के बिना घर

सुजीत बने नगर अध्यक्ष

नगर अध्यक्ष का चुनाव वोट मत से प्राथमिक विद्यालय नारायणपुरा स्कूल के सामने धानुक बरार धर्मशाला विष्णुपुरा में सम्पन्न हुआ, जिसमें सुजीत धानुक दीपक, सचिन, हरदास चार प्रत्याशियों ने नामांकन किया था, जिसका मतदान हुआ. मतदान प्रक्रिया को सम्पन्न कराने वाले चुनाव अधिकारी राजस्व विभाग से सेवा निवृत्त मनोराम वर्मा, अध्यापक राजेश रघुवंशी, वरिष्ठ महेश वर्मा, अखिलेश वर्मा सिलावन, चुनाव अधिकारियों ने सुजीत धानुक को 313 वोटों से विजयी घोषित किया. दीपक को 106 मत प्राप्त हुए.

विमोचन 27 जुलाई को

सागर. देश में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों पर श्यामलम् के महत्वाकांक्षी आयोजन भाषा विमर्श की श्रंखला में 27 जुलाई रविवार को 3 बजे से मकरोनिया स्थित एक होटल के सभागार में बीएमसी की प्रोफेसर डॉ.श्वेता भटनागर के अंग्रेजी उपन्यास गोलडन केज का विमोचन एवं उस पर विमर्श किया जाएगा. श्यामलम् अध्यक्ष उमाकांत मिश्र एवं संयोजक डॉ. प्रवीण खरे ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती अनुश्री शैलेंद्र जैन करेंगी. मुख्य अतिथि डॉ. मीना पिंपलापुरे होंगी, डॉ.पुर्णिमा वर्मा, डॉ.रश्मि सिंह, डॉ.डिम्पल दुबे एवं माधव चंद्र समीक्षात्मक वक्तव्य देंगे. संचालन डॉ.आशुतोष शर्मा करेंगे. कार्यक्रम में प्रीति सिंह, नीता पिंपलापुरे खन्ना, डॉ.रश्मि सिंह, एएसपी लवली सोनी और डॉ. नवदीप सत्तूजा की सहभागिता रहेगी.

विधायक ने किया भूमिपूजन

नवभारत न्यूज
सागर 22 जुलाई. नरयावली विधायक प्रदीप लारिया एवं नपा अध्यक्ष में महिलालाल ने वार्ड क्रमांक-8 में 9.25 लाख रु. से नाली निर्माण एवं वार्ड क्रमांक-9 में 25.44 लाख रु. की लागत से विभिन्न स्थानों पर सीसी रोड निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया.

सभी लोकसेवा केंद्रों का करें निरीक्षण: कलेक्टर

सागर. कलेक्टर संदीप जी.आर ने समस्त एएसडीएम, तहसीलदार को निर्देशित किया है कि सभी लोकसेवा केंद्रों का लगातार निरीक्षण करें एवं लोकसेवा केंद्र पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लें. सभी अधिकारी यह प्रमुखता से देखें कि सभी लोकसेवा केंद्रों पर उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की शुल्क मुख्य सूचना पटल पर चरखा की गई है कि नहीं. यह भी देखें कि लोक सेवा केंद्र संचालक के द्वारा समय सीमा में सेवाओं को प्रदान किया जा रहा है.

प्रशासन की छापामार कार्रवाई

नवभारत न्यूज
बंडा 22 जुलाई. बरा बस स्टैंड पर इलेक्ट्रिक वाहन द्वारा ले जाया जा रहा लगभग 5 किलो मिक्स केक एवं बाइट बर्फी जिसमें लेवल संबंधी अनियमितताओं जैसे उत्पादन दिनांक का आभार बेच नंबर का आभार आदि पाये जाने पर हरे कृष्णा व्हाइट वर्गी 200 किलो ग्राम एवं न्यू राधिका निशा केक के 300 किलो ग्राम मात्रा जो कि 10 किलोग्राम एवं 4 किलोग्राम के पैकेटों में पैक कर 10 बोरियों में ले जायी जा रही थी.
जानकारी के अनुसार पुलिस

स्मार्ट मीटर पर फूटा जनाक्रोश, सत्याग्रह की राह

नवभारत न्यूज
ललितपुर 22 जुलाई. बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों को लेकर आम जनता में भारी आक्रोश है. बिना सहमति और बिना पारदर्शिता के लगाए जा रहे इन मीटरों ने गरीब और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर डाला है.
कई मोहल्लों में ऐसे परिवारों को 2 से 5 हजार रुपये तक के बिल थमाए गए हैं, जिनके घरों में मात्र एक बल्ब और पंखा चलता है. इन्होंने परिस्थितियों में स्मार्ट मीटर सत्याग्रह नामक शांतिपूर्ण अभियान की शुरुआत की गई,
नागरिकों ने जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी को प्रार्थना पत्र सौंपा. इस पत्र में स्मार्ट मीटर योजना की तकनीकी त्रुटियों, मानकहीन इंस्टॉलेशन, और विशेष उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने की शिकायतें दर्ज की गई हैं. जिन उपभोक्ताओं को विभागीय अधिकारी चहेता मानते हैं, सिर्फ उन्हीं के घरों में उच्च गुणवत्ता की वायरिंग और सुरक्षा उपकरण लगाए जा रहे हैं. सत्याग्रह में शामिल एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि हमारे घर तो दो बल्ब ही हैं, फिर 3200 का बिल कैसे आया? आंदोलनकारी विकास झा ने कहा कि अगर मीटर स्मार्ट है,

न्यायालय प्रथम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधीक्षण सूत्रपुर जिला सूत्रपुर (छ.न.)

क्रमांक- क/अति.मो.दु.दा.अधि./2025
सूत्रपुर दिनांक 17/07/2025
प्री.नं. 200/2025
आदेश दिनांक 16/07/2025
मो.दु.प्र.क्र. 102/2024
पेशी दिनांक 22/08/2025
इशितहार
कपूर चंद प्रति आनंद असाठी वगैरह
प्रति,
1.आनंद असाठी आत्मज श्री कमलेश कुमार असाठी उम 44 वर्ष निवासी सुभाष वार्ड बंडा, थाना बंडा (बेलई) तह. बंडा, जिला सागर म.प्र.
2.अनिल यादव आत्मज श्री मूल लाल यादव उम 28 वर्ष निवासी सुभाष वार्ड बंडा, थाना बंडा (बेलई) तह. बंडा, जिला सागर म.प्र.
इस न्यायालय में मो.दु.दा. प्रकरण क्रमांक 102/2024, कपूर चंद प्रति आनंद असाठी वगैरह में आप प्रतिवादी/अनुवादक हैं। आपको उक्त प्रकरण में कई बार समसं दिवस को की जानेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2025 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपके किर्तु प्रकरण का निव्वारण आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा। यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को सावधानी अन्वेषण विधि किया जाता है या कार्य दिवस के स्थिति हो जाता है तो प्रकरण की सुनवाई आगामी दिवस को की जावेगी। आज दिनांक 17/07/2